



एग्री मैगज़ीन

(कृषि लेखों के लिए अंतरराष्ट्रीय ई-पत्रिका)

वर्ष: 03, अंक: 10 (अक्टूबर, 2026)

www.agrimagazine.in पर ऑनलाइन उपलब्ध

© एग्री मैगज़ीन, आई. एस. एस. एन.: 3048-8656

भारत में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) लेन-देन शुल्क का बदलता परिदृश्य एवं नई एमडीआर व्यवस्था और उसके संभावित प्रभाव

*मुकेश कुमार अनंत एवं आशा

इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

*संवादी लेखक का ईमेल पता: mukeshanant.ageco@gmail.com

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख भुगतान माध्यम बन चुका है। इसकी शुरुआत अप्रैल 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा प्रायोगिक आधार पर 21 बैंकों के साथ की गई थी तथा अगस्त 2016 में इसे आम जनता के लिए उपलब्ध कराया गया। अगस्त 2016 में यूपीआई के माध्यम से लगभग 90,000 लेन-देन किए गए थे। इसके बाद यूपीआई का विस्तार तेजी से हुआ और अगस्त 2026 तक इससे जुड़े बैंकों की संख्या बढ़कर 752 हो गई। वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई के माध्यम से 24,161.69 करोड़ लेन-देन हुए, जिनका कुल मूल्य लगभग 314.23 लाख करोड़ रु. रहा। यूपीआई के विस्तार के साथ इसकी वित्तीय स्थिरता तथा भुगतान सेवा प्रदाताओं के परिचालन व्यय को लेकर व्यापारी छूट दर (एमडीआर) की व्यवस्था पर नीतिगत चर्चा शुरू हुई। जनवरी 2020 से यूपीआई पर एमडीआर शून्य रही है। अब नई व्यवस्था के अंतर्गत 15 अक्टूबर 2026 से चयनित व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) लेन-देन पर सीमित एमडीआर लागू करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 2,000 रुपये तक के पी2एम लेन-देन, सभी व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) अंतरण तथा निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले छोटे व्यापारियों के भुगतान पर एमडीआर शून्य रहेगी। सामान्य श्रेणी में 2,000 रु. से अधिक के पात्र लेन-देन पर 0.40 प्रतिशत (अधिकतम 300 रुपये), आवश्यक क्षेत्रों में 5 रुपये प्रति लेन-देन तथा पूंजी बाजार से संबंधित भुगतानों पर 0.02 प्रतिशत (अधिकतम 300 रुपये) की दर निर्धारित की गई है। सरकार के अनुसार, लगभग 96 प्रतिशत पी2एम लेन-देन इस व्यवस्था से अप्रभावित रहेंगे। प्रस्तुत लेख द्वितीयक आँकड़ों एवं नीतिगत दस्तावेजों के विश्लेषण के आधार पर नई एमडीआर व्यवस्था की संरचना तथा व्यापारियों, उपभोक्ताओं, बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं पर इसके संभावित आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करता है। इसमें व्यापारियों की परिचालन लागत, लाभ मार्जिन, उपभोक्ता हितों तथा वित्तीय समावेशन पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। चूँकि यह व्यवस्था अभी लागू नहीं हुई है, इसलिए इसके प्रभाव संभावित हैं, प्रमाणित परिणाम नहीं।

मुख्य शब्द: एकीकृत भुगतान इंटरफेस, व्यापारी छूट दर, डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन, बैंकिंग प्रणाली, डिजिटल अर्थव्यवस्था।

परिचय

भारत में डिजिटल भुगतान का विकास किसी एक तकनीक से नहीं, बल्कि बैंक खातों के विस्तार, मोबाइल कनेक्टिविटी, पहचान-प्रणाली और नियामकीय नवाचार के संयुक्त प्रभाव से हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के एक कार्यपत्र में भारत की इंडिया स्टैक संरचना, डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान प्रणाली और डेटा-विनिमय परत को ऐसी मूलभूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना माना गया है जिसने नवाचार, प्रतिस्पर्धा और वित्तीय समावेशन को गति दी। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत जन-धन खाता, आधार तथा मोबाइल के त्रिकोण ने उस पृष्ठभूमि का निर्माण किया जिस पर यूपीआई खड़ा हुआ।

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (Unified Payments Interface-UPI)

एकीकृत भुगतान प्रणाली (Unified Payments Interface-UPI) भारत की एक त्वरित और परस्पर-संगत डिजिटल भुगतान प्रणाली है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India-NPCI) द्वारा विकसित किया गया है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने बैंक खाते से किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यापारी के बैंक खाते में तत्काल धनराशि का इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण कर सकता है।

व्यापारी छूट दर (Merchant Discount Rate-MDR)

व्यापारी छूट दर (Merchant Discount Rate-MDR) वह शुल्क है, जो किसी ग्राहक द्वारा व्यापारी को डिजिटल भुगतान किए जाने पर उस लेन-देन को संसाधित करने में शामिल बैंक, भुगतान सेवा प्रदाता तथा अन्य संबंधित संस्थाओं की लागत की पूर्ति के लिए व्यापारी से लिया जाता है। नई एमडीआर व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत 2,000 रु. तक के व्यापारी भुगतान पर एमडीआर शून्य रहेगा, जबकि 2,000 रु. से अधिक के कुछ निर्दिष्ट



व्यापारी लेन-देन पर एमडीआर लागू होगा। व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) यूपीआई लेन-देन पहले की तरह निःशुल्क रहेगा।

भारत में यूपीआई और एमडीआर का ऐतिहासिक विकास

2016: एकीकृत भुगतान इंटरफेस की शुरुआत

- यूपीआई का पायलट शुभारंभ 11 अप्रैल 2016 को तत्कालीन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम जी. राजन द्वारा 21 सदस्य बैंकों के साथ किया गया था। इसके बाद 25 अगस्त 2016 से यूपीआई, सक्षम बैंक अनुप्रयोगों के माध्यम से इसे आम ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया गया।

2017: क्यूआर (QR) आधारित भुगतान का विस्तार

- वर्ष 2017 में यूपीआई के साथ क्यूआर कोड आधारित भुगतान का विस्तार हुआ। इसके माध्यम से व्यापारी अपने प्रतिष्ठान पर क्यूआर कोड प्रदर्शित कर ग्राहकों से सीधे डिजिटल भुगतान स्वीकार करने लगे। इस सुविधा ने विशेष रूप से छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल भुगतान स्वीकार करना आसान और सुविधाजनक बनाया।

2018: नई यूपीआई 2.0 का शुभारंभ

- वर्ष 2018 में यूपीआई 2.0 का शुभारंभ किया गया। इसमें एकमुश्त भुगतान अनुमति (One-Time Mandate), हस्ताक्षरित भुगतान निर्देश (Signed Intent) एवं क्यूआर तथा ओवरड्राफ्ट खाते को यूपीआई से जोड़ने जैसी नई सुविधाएँ शामिल की गईं। इन सुविधाओं के माध्यम से यूपीआई का उपयोग केवल तत्काल भुगतान तक सीमित न रहकर निवेश और अन्य डिजिटल भुगतान सेवाओं तक भी विस्तारित हुआ।

2019: आईपीओ के लिए एकमुश्त भुगतान अनुमति

- जनवरी 2019 में प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (Initial Public Offering-IPO) के लिए यूपीआई आधारित एकमुश्त भुगतान अनुमति (One-Time Mandate) सुविधा शुरू की गई। इसके माध्यम से निवेशक IPO आवेदन के समय भुगतान की राशि के लिए एक बार अनुमति दे सकते थे। इससे IPO आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया अधिक सरल तथा डिजिटल हुई।

2020: यूपीआई ऑटोपे (AutoPay) और शून्य एमडीआर

- जुलाई 2020 में यूपीआई ऑटोपे (AutoPay) शुरू किया गया, जिससे बिजली, मोबाइल, बीमा, ऋण की किस्त और सदस्यता जैसे नियमित भुगतानों के लिए स्वचालित भुगतान की सुविधा मिली। इसी वर्ष 1 जनवरी 2020 से यूपीआई और RuPay डेबिट कार्ड से संबंधित निर्दिष्ट व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) डिजिटल भुगतानों पर एमडीआर शून्य किया गया, जिससे व्यापारियों के लिए डिजिटल भुगतान स्वीकार करना आसान और कम लागत वाला हो गया।

2021-2024: शून्य एमडीआर के साथ प्रोत्साहन योजना

- भारत सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 1 जनवरी 2020 से BHIM-UPI और RuPay डेबिट कार्ड से संबंधित पात्र लेन-देन पर शून्य एमडीआर की व्यवस्था लागू की। चूंकि इस व्यवस्था में बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को व्यापारी से एमडीआर प्राप्त नहीं होता था, इसलिए डिजिटल भुगतान व्यवस्था को समर्थन देने के लिए सरकार ने प्रोत्साहन योजना शुरू की। सरकारी आँकड़ों के अनुसार, UPI और RuPay डेबिट कार्ड से संबंधित प्रोत्साहन भुगतान वित्त वर्ष 2021-22 में 1,389 करोड़ ₹, 2022-23 में 2,210 करोड़ ₹ और 2023-24 में 3,631 करोड़ ₹ रहा।

2023: पीपीआई के माध्यम से यूपीआई भुगतान

- 1 अप्रैल 2023 से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India-NPCI) के निर्देशों के अनुसार, प्रीपेड भुगतान साधनों, जैसे डिजिटल वॉलेट, के माध्यम से 2,000 ₹ से अधिक के व्यापारी यूपीआई लेन-देन पर अधिकतम 1.1 प्रतिशत तक इंटरचेंज शुल्क लागू किया गया। यह शुल्क केवल प्रीपेड भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए संबंधित व्यापारी भुगतानों पर लागू था और बैंक-खाता आधारित सामान्य यूपीआई भुगतानों की शून्य एमडीआर व्यवस्था से अलग था।

2026: नई एमडीआर व्यवस्था

- वर्ष 2026 में यूपीआई की शुल्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत हुई। अगस्त 2026 में कराधान एवं अन्य विधि (संशोधन) अधिनियम, 2026 (Taxation and Other Laws (Amendment) Act, 2026) के माध्यम से भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007) में संशोधन किया गया। इस संशोधन ने सरकार को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों के शुल्क संबंधी व्यवस्था निर्धारित करने का कानूनी आधार दिया। इसके बाद 14 सितंबर 2026 को 2,000 ₹ तक के पात्र यूपीआई व्यापारी भुगतानों पर शून्य एमडीआर की व्यवस्था स्पष्ट की गई। 15 सितंबर 2026 को नई एमडीआर संरचना की घोषणा की गई, जिसमें व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) भुगतान निःशुल्क रखने की व्यवस्था की गई। 15 अक्टूबर 2026 से नई एमडीआर व्यवस्था प्रभावी होगी, जिसके तहत 2,000 ₹ से अधिक के कुछ निर्दिष्ट व्यापारी भुगतानों पर एमडीआर लागू होगा। इस बदलाव का उद्देश्य छोटे व्यापारियों और निम्न-मूल्य भुगतानों को सुरक्षित रखते हुए यूपीआई व्यवस्था की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है।

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) का व्यापक महत्व

यूपीआई का प्रभाव केवल भुगतान की सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं:

1. राजनीतिक महत्व: यूपीआई भारत की डिजिटल भुगतान संबंधी नीतियों और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की सरकारी पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके माध्यम से सरकार देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने, नकद लेन देन पर निर्भरता कम करने और आधुनिक भुगतान व्यवस्था को व्यापक बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। यूपीआई की सफलता भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सहायक रही है।

2. आर्थिक महत्व: यूपीआई ने भुगतान प्रक्रिया को तेज, सरल और कम लागत वाला बनाया है। इससे व्यापारिक लेन-देन को सुविधा मिली है तथा छोटे व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं के लिए डिजिटल भुगतान स्वीकार करना आसान हुआ है। इसके साथ ही, डिजिटल लेन देन के विस्तार से आर्थिक औपचारीकरण, वित्तीय समावेशन और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को भी बढ़ावा मिलता है।

3. सामाजिक महत्व: यूपीआई ने आम लोगों के दैनिक भुगतान व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में योगदान दिया है। मोबाइल फोन के माध्यम से तत्काल भुगतान की सुविधा ने भुगतान को अधिक सुविधाजनक बनाया है। छोटे दुकानदारों, ग्राहकों, विद्यार्थियों, श्रमिकों तथा अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए छोटी राशि के लेन देन में भी डिजिटल भुगतान का उपयोग आसान हुआ है।

4. सरकारी एवं प्रशासनिक महत्व: यूपीआई डिजिटल शासन और सरकारी भुगतान व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने में सहायता करता है। डिजिटल भुगतान के माध्यम से लेन देन का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख उपलब्ध रहता है, जिससे भुगतान प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने में सहायता मिल सकती है। यह सरकारी योजनाओं, डिजिटल सेवाओं और वित्तीय लेन देन के विस्तार के लिए भी उपयोगी आधार प्रदान करता है।

5. तकनीकी महत्व: यूपीआई ने भारत में वित्तीय प्रौद्योगिकी और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया है। क्यूआर कोड, मोबाइल आधारित भुगतान, तत्काल बैंक से बैंक हस्तांतरण और विभिन्न भुगतान अनुप्रयोगों की परस्पर संगतता ने भुगतान व्यवस्था को अधिक आधुनिक बनाया है। इसके आधार पर अनेक नई डिजिटल वित्तीय सेवाओं और व्यावसायिक समाधानों के विकास की संभावनाएँ भी बढ़ी हैं।

रुरुर यूपीआई की प्रमुख विशेषताएँ

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) की प्रमुख विशेषताएँ

1. त्वरित भुगतान: यूपीआई के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण बहुत कम समय में किया जा सकता है। इससे भुगतान और धन प्राप्त करने की प्रक्रिया तेज तथा सुविधाजनक बनती है।

2. परस्पर-संगतता: यूपीआई विभिन्न बैंकों और भुगतान अनुप्रयोगों के बीच लेन-देन की सुविधा प्रदान करता है। इससे उपयोगकर्ता अलग-अलग बैंक खातों के बीच आसानी से भुगतान कर सकते हैं।

3. चौबीसों घंटे उपलब्धता: यूपीआई भुगतान सुविधा सामान्यतः चौबीसों घंटे उपलब्ध रहती है। उपयोगकर्ता बैंकिंग समय की बाध्यता के बिना आवश्यकता के अनुसार डिजिटल भुगतान कर सकते हैं।

4. क्यूआर कोड आधारित भुगतान: व्यापारी क्यूआर कोड के माध्यम से ग्राहकों से भुगतान स्वीकार कर सकते हैं। इससे भुगतान प्रक्रिया सरल होती है और नकद रखने की आवश्यकता कम होती है।

5. बैंक खाते से प्रत्यक्ष संबंध: यूपीआई भुगतान सीधे उपयोगकर्ता के बैंक खाते से जुड़ा होता है। इससे धनराशि का स्थानांतरण बैंक खाते से सीधे किया जा सकता है और भुगतान प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित रहती है।

6. व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतान: यूपीआई के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सीधे धनराशि भेज सकता है। इसका उपयोग दैनिक व्यक्तिगत लेन-देन, धन भेजने और प्राप्त करने में किया जाता है।

7. व्यक्ति-से-व्यापारी भुगतान: ग्राहक वस्तुओं और सेवाओं के बदले व्यापारी को यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान कर सकता है। इससे छोटे दुकानदारों सहित विभिन्न प्रकार के व्यापारियों के लिए डिजिटल भुगतान स्वीकार करना आसान हुआ है।

8. डिजिटल अभिलेख: यूपीआई के माध्यम से किए गए सफल लेन-देन का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है। इससे भुगतान का लेखा-जोखा रखने, लेन-देन की जानकारी देखने और आवश्यकता पड़ने पर उसका सत्यापन करने में सुविधा होती है।

भारत में यूपीआई लेन-देन की मात्रा, मूल्य एवं औसत प्रति लेन-देन राशि का वार्षिक विकास

भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लेन-देन ने पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतान व्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। लेन-देन की मात्रा और कुल मूल्य में निरंतर वृद्धि के साथ-साथ औसत प्रति-लेन-देन राशि में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया है। तालिका 1 में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लेन-देन की मात्रा, कुल मूल्य, वार्षिक वृद्धि दर तथा औसत प्रति-लेन-देन राशि का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1: भारत में यूपीआई लेन-देन की मात्रा, मूल्य एवं औसत प्रति लेन-देन राशि का वार्षिक विकास

वित्त वर्ष	लेन-देन मात्रा (करोड़)	लेन-देन मूल्य (लाख करोड़ रु)	मात्रा वृद्धि (%)	मूल्य वृद्धि (%)	औसत प्रति-लेन-देन राशि / औसत टिकट आकार (रु)
2021-22	4,595.61	84.16	-	-	1,831
2022-23	8,371.44	139.15	82.2	65.3	1,662
2023-24	13,112.95	199.95	56.6	43.7	1,525
2024-25	18,586.60	260.56	41.7	30.3	1,402
2025-26	24,161.69	314.23	30.0	20.6	1,301

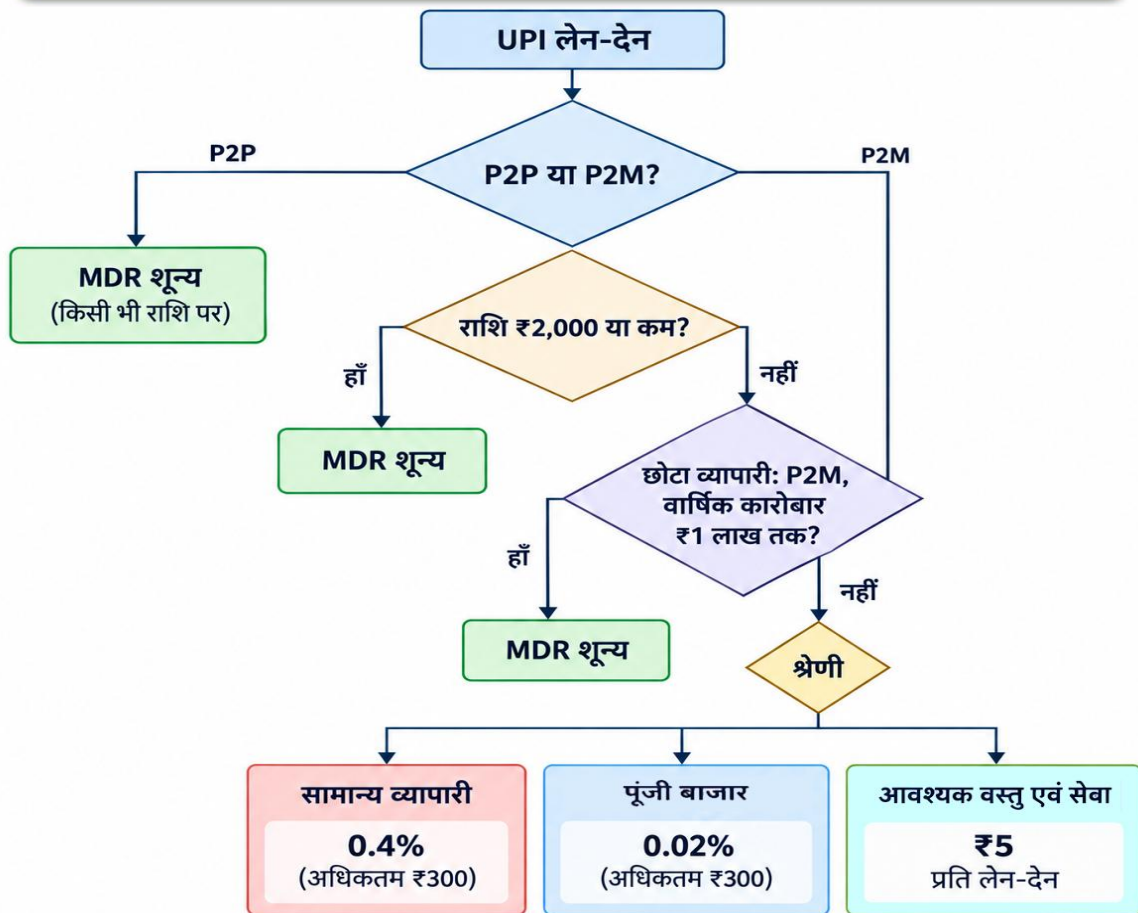
स्रोत: ऑकड़े लोकसभा रिपोर्ट (2026) एवं यूपीआई वित्त मंत्रालय (2026)। वृद्धि-दर व औसत प्रति-लेन-देन राशि लेखक की गणना है।

एकीकृत भुगतान इंटरफेस लेन-देन में प्रस्तावित एमडीआर का वर्गीकरण

15 सितंबर 2026 को केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (न्च) पर मर्चेट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) व्यवस्था में लेन-देन की प्रकृति, राशि तथा व्यापारी की श्रेणी के आधार पर अलग-अलग एमडीआर दरें निर्धारित की गई हैं। इसे 15 अक्टूबर 2026 से लागू किया जाना निर्धारित है। तालिका 2 में इस नई एमडीआर व्यवस्था की प्रमुख श्रेणियों, पात्रता, शुल्क दरों तथा अधिकतम सीमा का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2: एकीकृत भुगतान इंटरफेस लेन-देन में प्रस्तावित एमडीआर का वर्गीकरण

क्र.	मुख्य श्रेणी	उप-श्रेणी / पात्रता	लेन-देन मूल्य	एमडीआर	अधिकतम सीमा (कैप)	ग्राहक पर शुल्क
1	पी2पी	व्यक्ति से व्यक्ति	कोई भी राशि	0.00 प्रतिशत	लागू नहीं	नहीं
2	पी2एम	सामान्य व्यापारी भुगतान	2,000रु तक	0.00 प्रतिशत	लागू नहीं	नहीं
3	पी2पीएम	छोटे व्यापारीय : यूपीआई, क्यूआर से प्राप्ति	1 लाख रु/माह तक	0.00 प्रतिशत	लागू नहीं	नहीं
	पी2एम	सामान्य व्यापारी	2,000 से 75000रु	0.40 प्रतिशत	लागू नहीं	नहीं
4	पी2एम	सामान्य व्यापारी	75000रु से अधिक	—	300रु/लेन-देन	नहीं
5	आवश्यक एवं कम मार्जिन क्षेत्र	रेलवे, दूरसंचार, बीमा, ईंधन एवं कृषि इनपुट्स आदि	2,000रु से अधिक	5रु प्रति लेन-देन	लागू नहीं	नहीं
6	पूंजी बाजार	म्यूचुअलफंड, प्रतिभूतियां, स्टॉकब्रोकर एवं डीलर	2,000रु से अधिक	0.02 प्रतिशत	300रु/लेन-देन	नहीं

एकीकृत भुगतान इंटरफेस लेन-देन में प्रस्तावित एमडीआर का वर्गीकरण

नोट: यह संरचना प्रस्तावित/उपलब्ध जानकारी के आधार पर दर्शाई गई है; अंतिम शुल्क नियामकीय निर्देशों के अनुसार बदल सकते हैं।

विभिन्न यूपीआई लेन-देन राशियों पर एमडीआर का बैंक, यूपीआई ऐप एवं अन्य भागीदार संस्थाओं में वितरण
नई यूपीआई एमडीआर व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त शुल्क का वितरण भुगतान-पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न प्रतिभागियों के बीच 40:30:20:10 के अनुपात में किया जाना बताया गया है, जिसमें जारीकर्ता बैंक का 40 प्रतिशत, अधिग्रहणकर्ता/व्यापारी बैंक का 30 प्रतिशत, यूपीआई ऐप/टीपीएपी का 20 प्रतिशत तथा पीएसपी/साझेदार बैंक का 10 प्रतिशत हिस्सा शामिल है। तालिका 3 में विभिन्न लेन-देन राशियों पर कुल एमडीआर तथा 40:30:20:10 के अनुपात के आधार पर संबंधित प्रतिभागियों को प्राप्त होने वाली अनुमानित राशि उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की गई है

तालिका 3: विभिन्न यूपीआई लेन-देन राशियों पर एमडीआर का बैंक, यूपीआई ऐप एवं अन्य भागीदार संस्थाओं में वितरण

क्र.	यूपीआई लेन-देन	एमडीआर दर (प्रतिशत)	कुल एमडीआर (रु)	बैंक का हिस्सा (70 प्रतिशत)	यूपीआई ऐप/टीपीएपी (20 प्रतिशत)	पीएसपी/साझेदार संस्था (10 प्रतिशत)	व्यापारी को प्राप्त शुद्ध राशि (रु)
1	2,000 तक	0.00	0	0	0	0	2,000
2	3,000	0.40	12	8.40	2.40	1.20	2,988
3	5,000	0.40	20	14.00	4.00	2.00	4,980
4	10,000	0.40	40	28.00	8.00	4.00	9,960
5	25,000	0.40	100	70.00	20.00	10.00	24,900
6	50,000	0.40	200	140.00	40.00	20.00	49,800
7	75,000	0.40	300	210.00	60.00	30.00	74,700
8	1,00,000	0.40	300	210.00	60.00	30.00	99,700
9	2,00,000	0.40	300	210.00	60.00	30.00	1,99,700
10	5,00,000	0.40	300	210.00	60.00	30.00	4,99,700
11	10,00,000	0.40	300	210.00	60.00	30.00	9,99,700

स्रोत: एनपीसीआई द्वारा 15 सितंबर 2026 को जारी एमडीआर संबंधी रूपरेखा/परिपत्र के आधार पर प्रकाशित विवरण; मनीकंट्रोल एवं अन्य समकालीन रिपोर्टें।
नोट: एमडीआर के अंतर्गत राशि का प्रतिभागीवार वितरण संबंधित एनपीसीआई दिशानिर्देशों के अनुसार परिवर्तनशील हो सकता है।

नई यूपीआई एमडीआर व्यवस्था के संभावित प्रभाव

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अनुसार, कुल एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) लेन-देन की मात्रा में लगभग 37 प्रतिशत हिस्सा व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी टू पी) लेन-देन का, जबकि 63 प्रतिशत हिस्सा व्यक्ति-से-व्यापारी (पी टू एम्) लेन-देन का है। नई व्यापारी छूट दर (मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट) व्यवस्था के अंतर्गत, कुल व्यापारी लेन-देन में लगभग 96 प्रतिशत लेन-देन इस शुल्क से अप्रभावित रहेंगे, जबकि केवल 4 प्रतिशत लेन-देन पर यह शुल्क लागू होगा। साथ ही, यूपीआई त्वरित भुगतान संकेतक (क्यूआर कोड) के माध्यम से प्रतिमाह 1 लाख रु तक का भुगतान प्राप्त करने वाले पात्र छोटे व्यापारियों के सभी लेन-देन भी शुल्क-मुक्त रहेंगे। इस प्रकार, नई व्यवस्था के अंतर्गत अधिकांश यूपीआई लेन-देन शुल्क-मुक्त बने रहेंगे और व्यापारी छूट दर का प्रभाव सीमित व्यापारी लेन-देन तक ही रहेगा।

नई यूपीआई एमडीआर व्यवस्था के संभावित सकारात्मक प्रभाव

1. यूपीआई ऐप कंपनियों को स्थायी आय का स्रोत मिलने की संभावना

अब तक यूपीआई के अधिकांश व्यापारी लेन-देन पर कोई व्यापारी शुल्क नहीं लिया जाता था। नई व्यवस्था में 2,000 रु से अधिक के पात्र व्यापारी लेन-देन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लगाने से भुगतान व्यवस्था से कुछ अतिरिक्त आय प्राप्त होने की संभावना है। इस आय का उपयोग भुगतान प्रणाली को चलाने, तकनीकी सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में किया जा सकता है। इस दृष्टि से नई व्यवस्था यूपीआई के लंबे समय तक सुचारु संचालन के लिए एक वित्तीय आधार उपलब्ध करा सकती है।

2. भारतीय रिजर्व बैंक के लिए अप्रत्यक्ष लाभ

नई एमडीआर व्यवस्था से भारतीय रिजर्व बैंक को सीधे कोई शुल्क प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इसे रिजर्व बैंक की आय के रूप में देखना उचित नहीं है। इसका लाभ मुख्य रूप से भुगतान व्यवस्था को मजबूत करने के रूप में देखा जा सकता है। यदि शुल्क से मिलने वाली आय का उपयोग तकनीकी सुधार, भुगतान अवसंरचना और सुरक्षा पर किया जाता है, तो इससे रिजर्व बैंक के डिजिटल भुगतान को सुरक्षित, विश्वसनीय और व्यापक बनाने के उद्देश्य को सहायता मिल सकती है।

3. भुगतान व्यवस्था और तकनीकी सुविधाओं में निवेश

यूपीआई का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। अगस्त 2026 में यूपीआई के माध्यम से लगभग 24.51 अरब लेन-देन हुआ, जिनका कुल मूल्य लगभग 29.82 लाख करोड़ रु था। इतने बड़े स्तर की भुगतान व्यवस्था के लिए मजबूत तकनीकी ढाँचे और सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। नई एमडीआर व्यवस्था से प्राप्त अतिरिक्त आय का एक हिस्सा इन क्षेत्रों में लगाया जाता है, तो इससे भविष्य में यूपीआई की क्षमता और विश्वसनीयता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

4. छोटे व्यापारियों पर अपेक्षाकृत कम दबाव

नई व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि 2,000 तक के व्यापारी लेन-देन को एमडीआर से बाहर रखा गया है। सरकारी जानकारी के अनुसार लगभग 96 प्रतिशत व्यापारी लेन-देन संख्या के आधार पर इस शुल्क से प्रभावित नहीं होंगे। इससे छोटे दुकानदारों, स्थानीय व्यापारियों और रोजमर्रा के कम मूल्य वाले भुगतान में यूपीआई के उपयोग पर तत्काल अतिरिक्त बोझ सीमित रहने की संभावना है।

5. वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलने की संभावना

यूपीआई ने छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों और ऐसे लोगों के लिए डिजिटल भुगतान को आसान बनाया है, जिनके लिए कार्ड मशीन या अन्य भुगतान साधनों की व्यवस्था करना कठिन हो सकता है। यदि नई व्यवस्था से मिलने वाली आय का उपयोग भुगतान स्वीकार करने वाली सुविधाओं और डिजिटल नेटवर्क को बेहतर बनाने में किया जाता है, तो ग्रामीण और छोटे व्यापारिक क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान की पहुँच आगे बढ़ सकती है।

6. डिजिटल अर्थव्यवस्था की गति मिलने की संभावना

डिजिटल भुगतान का बढ़ता उपयोग केवल भुगतान के तरीके में बदलाव नहीं है, बल्कि यह व्यापार के काम करने के तरीके को भी बदल रहा है। यूपीआई के माध्यम से भुगतान होने पर लेन-देन का डिजिटल रिकॉर्ड बनता है, जिससे छोटे कारोबारियों के लिए बैंकिंग सेवाओं, ऋण और अन्य औपचारिक वित्तीय सुविधाओं तक पहुँच आसान हो सकती है। इसलिए, यदि नई व्यवस्था यूपीआई के विस्तार और स्थिरता को बनाए रखने में सफल रहती है, तो इसका व्यापक डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

7. आर्थिक विकास पर अप्रत्यक्ष प्रभाव

नई एमडीआर व्यवस्था से सीधे आर्थिक विकास या सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होने का दावा करना उचित नहीं होगा। हालांकि, इसके माध्यम से यदि भुगतान अवसंरचना में निवेश बढ़ता है, डिजिटल लेन-देन का विस्तार होता है और अधिक छोटे व्यवसाय औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जुड़ते हैं, तो इन माध्यमों से आर्थिक गतिविधियों को अप्रत्यक्ष समर्थन मिल सकता है। विशेष रूप से डिजिटल व्यापार और छोटे व्यवसायों के विस्तार में इसका योगदान महत्वपूर्ण हो सकता है।

8. साइबर सुरक्षा और भुगतान की विश्वसनीयता में सुधार

यूपीआई और डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर धोखाधड़ी की चुनौती भी महत्वपूर्ण हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, कार्ड और इंटरनेट से संबंधित धोखाधड़ी के मामले 2022-23 के 6,699 से बढ़कर 2023-24 में 29,082 हो गए, जबकि संबंधित राशि 278 करोड़ ₹ से बढ़कर 1,457 करोड़ ₹ रही। 2024-25 में ऐसे मामलों की संख्या घटकर 13,516 और संबंधित राशि 520 करोड़ ₹ रही। ऐसी स्थिति में भुगतान व्यवस्था से प्राप्त अतिरिक्त आय का उपयोग साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी की पहचान और शिकायत निवारण को मजबूत करने में किया जाता है, तो इससे यूपीआई भुगतान की सुरक्षा और विश्वसनीयता बनाए रखने में सहायता मिल सकती है। आरबीआई के अनुसार डिजिटल भुगतान में सुरक्षा और उपभोक्ता विश्वास, इसके व्यापक उपयोग के लिए महत्वपूर्ण हैं।

9. बड़े मूल्य के लेन-देन से राजस्व प्राप्त करने का अवसर

नई व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष यह है कि शुल्क मुख्य रूप से बड़े मूल्य के व्यापारी लेन-देन पर केंद्रित है। उपलब्ध उद्योग अनुमानों के अनुसार 2,000 ₹ से अधिक के लेन-देन संख्या में लगभग 4 प्रतिशत, लेकिन कुल व्यापारी लेन-देन के मूल्य में लगभग 66 प्रतिशत तक हिस्सेदारी रखते हैं। इससे पता चलता है कि कम संख्या में होने के बावजूद इन लेन-देन का आर्थिक महत्व काफी अधिक है। इसलिए, छोटे भुगतान को प्रभावित किए बिना बड़े लेन-देन से भुगतान व्यवस्था के लिए आय जुटाने का प्रयास किया गया है।

10. दीर्घकाल में डिजिटल भुगतान के विस्तार में सहायता

यूपीआई की विकास यात्रा अगस्त 2016 में शुरू हुई, जब प्रारंभिक चरण में 21 बैंक इस भुगतान प्रणाली से जुड़े थे। इसके बाद यूपीआई का विस्तार तेजी से हुआ और अगस्त 2026 तक इससे जुड़े बैंकों की संख्या बढ़कर 752 हो गई। इसी महीने लगभग 24.51 अरब लेन-देन, जिनका कुल मूल्य 29.82 लाख करोड़ ₹ दर्ज किए गए। यह वृद्धि दर्शाती है कि यूपीआई ने एक सीमित बैंकिंग नेटवर्क से व्यापक डिजिटल भुगतान प्रणाली तक का सफर तय किया है। यदि नई एमडीआर व्यवस्था से प्राप्त आय का उपयोग भुगतान सेवाओं में नवाचार, लेन-देन की गति और विश्वसनीयता में सुधार तथा ग्रामीण एवं छोटे व्यावसायिक क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान की पहुँच बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इससे भविष्य में यूपीआई के उपयोग का दायरा और व्यापक हो सकता है।

नई यूपीआई एमडीआर व्यवस्था के संभावित नकारात्मक प्रभाव**1. व्यापारियों की परिचालन लागत में वृद्धि एवं लाभ मार्जिन पर दबाव**

नई एमडीआर व्यवस्था के अंतर्गत पात्र व्यापारी लेन-देन पर शुल्क लागू होने से व्यापारियों की डिजिटल भुगतान संबंधी लागत में वृद्धि हो सकती है। विशेष रूप से कम लाभ मार्जिन पर कार्य करने वाले छोटे एवं मध्यम व्यापारियों की शुद्ध आय प्रभावित होने की आशंका है।

उदाहरण: यदि किसी व्यापारी को 10,000 ₹ का पात्र भुगतान प्राप्त होता है और उस पर 0.4% एमडीआर लागू होता है, तो उसे 40 ₹ शुल्क देना होगा। ऐसे 10,000 लेन-देन होने पर कुल शुल्क 4 लाख ₹ होगा। इससे व्यापारी की परिचालन लागत बढ़ सकती है।

2. वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में संभावित वृद्धि

एमडीआर व्यापारी पर लागू होने वाला शुल्क है, लेकिन व्यापारी इस अतिरिक्त लागत की भरपाई के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में डिजिटल भुगतान की लागत अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं पर स्थानांतरित हो सकती है। इस प्रकार, एमडीआर का प्रभाव केवल व्यापारी की आय तक सीमित न रहकर उपभोक्ताओं की क्रय-शक्ति को भी प्रभावित कर सकता है।

3. भुगतान राशि का विभाजन एवं डिजिटल भुगतान प्रक्रिया में जटिलता

2,000 ₹ तक के पात्र व्यापारी भुगतानों पर एमडीआर शून्य होने के कारण कुछ व्यापारी बड़ी राशि के भुगतान को छोटे-छोटे लेन-देन में विभाजित करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इससे भुगतान प्रक्रिया की सहजता प्रभावित होने तथा लेन-देन पूरा करने में अतिरिक्त समय लगने की आशंका है।

उदाहरण: 6,000 रु के बिल का भुगतान 2,000 रु के तीन अलग-अलग लेन-देन में करने से ग्राहक को एक ही भुगतान के स्थान पर कई बार भुगतान प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है।

4. डिजिटल भुगतान प्रणाली पर तकनीकी दबाव

यदि बड़ी राशि के भुगतान को कई छोटे लेन-देन में विभाजित किया जाता है, तो कुल लेन-देन की संख्या बढ़ सकती है। इससे भुगतान प्रणाली के सर्वर, बैंकिंग नेटवर्क तथा लेन-देन प्रसंस्करण व्यवस्था पर अतिरिक्त तकनीकी दबाव पड़ने की आशंका हो सकती है। हालाँकि, इससे तकनीकी विफलता दर में वास्तविक वृद्धि होगी या नहीं, इसका निर्धारण संबंधित भुगतान प्रणाली के परिचालन आँकड़ों के आधार पर ही किया जा सकता है।

5. कम लाभ मार्जिन वाले उद्योगों पर वित्तीय दबाव

ईंधन, बीमा, दूरसंचार तथा कृषि आदान जैसे क्षेत्रों में कुछ व्यापारियों का लाभ मार्जिन सीमित हो सकता है। ऐसे क्षेत्रों में पात्र डिजिटल भुगतान पर लागू शुल्क उनकी परिचालन लागत बढ़ा सकता है। विशेष रूप से अधिक लेन-देन मात्रा वाले व्यवसायों में प्रति लेन-देन लगने वाला शुल्क कुल मिलाकर महत्वपूर्ण व्यय बन सकता है।

6. पेट्रोल पंप एवं ईंधन डीलरों की परिचालन लागत में वृद्धि

पेट्रोल, डीजल तथा प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के कारोबार में डीलरों के लाभ मार्जिन पर विभिन्न परिचालन व्ययों का प्रभाव पड़ता है। ऐसे में डिजिटल भुगतान पर लागू शुल्क उनकी लागत बढ़ा सकता है। यद्यपि आवश्यक एवं कम लाभ मार्जिन वाले क्षेत्रों के लिए विशेष शुल्क व्यवस्था का प्रावधान है, फिर भी बड़े लेन-देन वाले ईंधन कारोबारियों के लिए कुल शुल्क एक अतिरिक्त वित्तीय भार बन सकता है।

7. पूंजी बाजार एवं निवेश संबंधी भुगतान पर अतिरिक्त लागत

नई व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित पात्र पूंजी बाजार संबंधी व्यापारी लेन-देन पर 0.02 प्रतिशत एमडीआर तथा अधिकतम 300 रु प्रति लेन-देन की सीमा लागू होने से संबंधित भुगतान लागत बढ़ सकती है। इसका प्रभाव म्यूचुअल फंड, प्रतिभूतियों तथा शेयर बाजार से संबंधित कुछ भुगतान लेन-देन पर पड़ सकता है। हालाँकि, इसका वास्तविक प्रभाव भुगतान की प्रकृति और लागू शुल्क नियमों पर निर्भर करेगा।

8. नकद लेन-देन में संभावित वृद्धि एवं बैंकिंग व्यवस्था पर दबाव

यदि कुछ व्यापारी एमडीआर से बचने के लिए डिजिटल भुगतान के स्थान पर नकद भुगतान को प्राथमिकता देते हैं, तो नकदी की मांग बढ़ सकती है। इससे बैंक शाखाओं में नकदी जमा करने एवं निकालने वाले ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। परिणामस्वरूप, बैंक शाखाओं में कार्यभार बढ़ने, लंबी कतारें लगने तथा ग्राहकों को अतिरिक्त समय व्यतीत करने की आशंका हो सकती है।

9. एटीएम पर नकदी की मांग एवं परिचालन दबाव में वृद्धि

नकद निकासी में वृद्धि होने से एटीएम मशीनों पर दबाव बढ़ सकता है। इससे एटीएम में नकदी समाप्त होने, बार-बार नकदी भरने की आवश्यकता तथा ग्राहकों को असुविधा होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, बैंकों को नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है।

10. बैंकों की नकदी परिवहन एवं प्रबंधन लागत में वृद्धि

नकद लेन-देन में संभावित वृद्धि होने पर बैंकों को शाखाओं एवं एटीएम में पर्याप्त नकदी उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है। इससे नकदी के परिवहन, सुरक्षा, भंडारण तथा एटीएम में नकदी भरने पर होने वाला व्यय बढ़ सकता है। इस प्रकार, डिजिटल भुगतान से नकद भुगतान की ओर संभावित बदलाव बैंकिंग व्यवस्था की परिचालन लागत को प्रभावित कर सकता है।

11. ग्रामीण एवं कम वित्तीय साक्षरता वाले ग्राहकों के लिए चुनौतियाँ

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान एवं बैंकिंग संबंधी जानकारी की कमी के कारण कुछ ग्राहकों को शुल्क संरचना तथा भुगतान नियमों की पूरी जानकारी नहीं हो सकती है। इससे लेन-देन संबंधी भ्रम, शिकायतों तथा शुल्क की शर्तों को समझने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि एमडीआर व्यापारी पर लागू होने वाला शुल्क है, ग्राहक पर नहीं। हालाँकि, शुल्क संबंधी जानकारी के अभाव में ग्राहकों से अप्रत्यक्ष रूप से अतिरिक्त राशि वसूलने का जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

12. नकदी के साथ खरीदारी करने पर सुरक्षा संबंधी जोखिम

यदि उपभोक्ता डिजिटल भुगतान के स्थान पर अधिक मात्रा में नकदी लेकर खरीदारी करते हैं, तो उनके साथ लूट, चोरी या नकदी खोने का जोखिम बढ़ सकता है।

उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति बड़ी खरीदारी के लिए 20,000 या 50,000 रु नकद लेकर बाजार जाता है, तो उसके साथ नकदी चोरी होने या लूट की आशंका बनी रहती है।

13. शुल्क संरचना की जटिलता एवं अनुपालन संबंधी चुनौतियाँ

विभिन्न व्यापारी श्रेणियों, लेन-देन की राशि तथा पात्रता शर्तों के आधार पर अलग-अलग एमडीआर दरें लागू होने से शुल्क संरचना जटिल हो सकती है। विशेष रूप से छोटे एवं मध्यम व्यापारियों के लिए अलग-अलग शुल्क दरों, छूट की शर्तों तथा पात्रता मानदंडों को समझना और उनका अनुपालन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इससे शुल्क संबंधी भ्रम एवं विवाद उत्पन्न होने की आशंका है।

निष्कर्ष

यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान को सरल, सुलभ एवं व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नई व्यापारी छूट दर (एमडीआर) व्यवस्था का उद्देश्य भुगतान सेवा प्रदाताओं की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है, लेकिन इससे व्यापारियों की परिचालन लागत, लाभ मार्जिन तथा उपभोक्ताओं पर संभावित प्रभाव पड़ सकते हैं। इस व्यवस्था की सफलता व्यापारियों, उपभोक्ताओं और भुगतान सेवा प्रदाताओं के हितों के बीच संतुलन स्थापित करने पर निर्भर करेगी। नई एमडीआर व्यवस्था के प्रभावों का आकलन केवल शुल्क संरचना के आधार पर नहीं, बल्कि डिजिटल भुगतान की

स्वीकार्यता, व्यापारियों की लागत और उपभोक्ता हितों के संदर्भ में भी किया जाना आवश्यक है। पारदर्शी शुल्क निर्धारण, प्रभावी निगरानी तथा छोटे व्यापारियों के हितों का संरक्षण इस व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाने में सहायक हो सकता है। अंततः, यूपीआई का सतत विकास तभी संभव है, जब डिजिटल भुगतान की सरलता, वित्तीय समावेशन और भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन बना रहे।

संदर्भ

1. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) (2016) एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) का शुभारंभ। एनपीसीआई प्रेस विज्ञप्ति, भारत सरकार।
2. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) (2019) भीम-यूपीआई की व्यापारी छूट दर का युक्तिकरण। एनपीसीआई प्रेस विज्ञप्ति, भारत सरकार।
3. भारत सरकार, आयकर विभाग। (2020)। डिजिटल भुगतान पर शून्य व्यापारी छूट दर संबंधी जानकारी। आयकर विभाग
4. भारत सरकार, आयकर विभाग (2020) परिपत्र संख्या 16/2020रू डिजिटल भुगतान पर शुल्क एवं व्यापारी छूट दर संबंधी प्रावधान। आयकर विभाग का परिपत्र
5. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) (2025) एनपीसीआई की प्रमुख उपलब्धियाँ
6. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (2026) भारत में यूपीआई के दस वर्षरू डिजिटल भुगतान की उपलब्धियाँ एवं विस्तार। प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार।
7. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (2026) यूपीआई व्यापारी छूट दर की नई व्यवस्था एवं व्यापारी लेन-देन पर शुल्क संबंधी जानकारी। प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार।
8. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (2026) यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए कोई शुल्क नहीं। प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार।
9. वित्त मंत्रालय। (2026क)। यूपीआई व्यक्ति-से-व्यक्ति लेन-देन और 96 प्रतिशत व्यापारी लेन-देन के लिए निःशुल्क बना हुआ है। प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार।
10. वित्त मंत्रालय। (2026ख)। यूपीआई के दस वर्ष भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में योगदान एवं विस्तार। प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार।